M.P.S.E.D.C. Ltd.
Inward No. 1002 Date 18.4.24

मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/ F 14-13/2020/41-2 भोपाल, दिनांक: 16-04-2024

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
समस्त आयुक्त नगर निगम,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
संयुक्त/उप-संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक/नगर पंचायत,
म.प्र. शासन

विषय: समग्र आईडी को मृत रिपोर्ट करने एवं त्रुटीवश मृत रिपोर्ट की गई आईडी को रिकवर करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन बावत।

संदर्भ: म.प्र.समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का पत्र क्रमांक/समग्र/2019/390, दिनांक 10/10/2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विगत कुछ महीनों में पाया गया है कि वार्ड/ग्राम पंचायत स्तर पर (SPR) यूजर लॉगिन द्वारा गलत तरीके से जीवित व्यक्तियों की समग्र आईडी को मृत घोषित कर दिया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप ऐसे नागरिक शासकीय योजनाओं एवं सेवा प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं।

नागरिको द्वारा उक्त संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित निकाय से राज्य कार्यालय पर मृत आईडी रिकवर करने हेतु अनुरोध किया जाता है ।

इस समस्या के समाधान के उद्देश्य से जीवित व्यक्ति की समग्र आईडी को मृत घोषित करने एवं मृत समग्र आईडी को रिकवर करने की हेतु नवीन प्रक्रिया निर्धारित कर लागू की जाती है जो कि संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है | निकायों से अपेक्षित है कि किसी भी व्यक्ति को मृत घोषित करने की प्रक्रिया सम्पूर्ण जानकारी एवं यथोचित जांच उपरांत ही की जाए ।

समस्त जिला कलेक्टर सम्बंधित निकाय एवं ग्राम पंचायतों/वार्ड कार्यालयों निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि जीवित व्यक्ति की समग्र आईडी त्रुटिवश मृत घोषित करने वाले प्रकरणों में कमी आये |

(संलग्न: Annexure -1 & 2)

OIC - Samagra

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

MPSEDC/SCD/24/ भोपाल, दिनांक: 16-04-2024

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
4. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, भोपाल
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल
6. प्रबंध संचालक, एमपीएसईडीसी, भोपाल

की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट-1

ग्राम पंचायत/वार्ड द्वारा समग्र आईडी को मृत घोषित करने एवं त्रुटिवश मृत घोषित समग्र आईडी को पुनः रिकवर करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया

1. **किसी भी व्यक्ति की समग्र आईडी को पोर्टल पर मृत घोषित करने की नवीन प्रक्रिया बिन्दुवार निम्नानुसार है -**

   i. ग्राम पंचायत / वार्ड लॉगिन से व्यक्ति को मृत घोषित करने की सुविधा उपलब्ध होगी ।

   ii. मृत सदस्य की समग्र आईडी दर्ज करने पर व्यक्ति की समस्त जानकारी प्रदर्शित होंगी ।

   iii. व्यक्ति की मृत्यु से सम्बंधित जानकारी प्रविष्ट करनी होगी जैसे मृत्यु का स्थान, मृत्यु का कारण, मृत्यु दिनांक, मृत्यु प्रमाण पत्र क्र., मृत्यु प्रमाण पत्र जारी दिनांक, इत्यादि ।

   iv. मृतक का विवरण रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, मृतक से सम्बन्ध इत्यादि प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा ।

   v. मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

   vi. जानकारी प्रविष्ट करने के उपरांत सम्बंधित यूजर (सचिव/GRS/वार्ड प्रभारी) को स्वयं का आधार आधारित e-Auth कर स्वयं को सत्यापित कर जानकारी सुरक्षित कर प्रक्रिया संपन्न करनी होगी |

   vii. उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत समग्र आईडी पोर्टल पर मृत घोषित कर दी जाएगी ।

   viii. समग्र पोर्टल पर किसी सदस्य की दर्ज की गयी मृत्यु के डाटा को राज्य शासन के अन्य विभागीय पोर्टल को भी उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे की मृतक द्वारा यदि कोई सेवा या योजना का लाभ लिया जा रहा हो तो उसे तत्काल समाप्त किया जा सके ।

त्रुटिवश मृत घोषित सदस्य की आईडी को रिकवर करने हेतु नवीन प्रक्रिया का पालन किया जाना होगा, जो कि निम्नानुसार है -

1. **ग्राम पंचायत/वार्ड द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया :**

   i. आवेदक को स्वयं संबंधित दस्तावेजों (आधार कार्ड और समग्र कार्ड) के साथ उपस्थित होकर संबंधित ग्राम पंचायत /वार्ड कार्यालय में जाकर ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा ।

      a) आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करना अनिवार्य होगा ।

      b) आवेदक को आधार e-KYC केवल बायोमेट्रिक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा ।

c) आवेदक का लाईव फोटोग्राफ Webcam/Laptop Camera के माध्यम से क्लिक कर अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

ii. संबंधित कर्मचारी(सचिव /GRS/वार्ड प्रभारी) द्वारा आवेदक की जानकारी निर्धारित प्रारूप में भरकर ऑनलाइन अपलोड करना होगा ।

iii. संबंधित कर्मचारी ((सचिव /GRS/वार्ड प्रभारी)) द्वारा स्वयं को आधार e-Auth के माध्यम से सत्यापित कर अनुरोध को प्रविष्ट किया जाएगा ।

iv. अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज होने पर अनुरोध आईडी आवेदक को प्रदान कराई जाएगी।

2. निकाय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही :

i. अनुरोध को सम्बंधित स्थानीय निकाय के लॉगइन पर सत्यापन एवं अनुशंसा हेतु प्रदर्शित किया जाएगा ।
स्थानीय निकाय द्वारा जांच उपरांत अनुशंसा के साथ अनुरोध को कलेक्टर लॉग इन पर भेज दिया जाएगा ।

3. कलेक्टर कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

i. स्थानीय निकाय द्वारा जांच उपरांत अनुशंसा के साथ अनुरोध को कलेक्टर लॉगइन पर भेज दिया जाएगा ।

ii. कलेक्टर महोदय द्वारा निरीक्षण कर प्रकरण को पुनः जांच हेतु स्थानीय निकाय को भेजा जा सकेगा ।

iii. कलेक्टर कार्यालय द्वारा जांच एवं अनुशंसा का निरीक्षण कर प्रकरण का अनुमोदन या निरस्तीकरण किया जायेगा ।

iv. अनुमोदन के पश्चात कलेक्टर महोदय द्वारा एक साथ एक से अधिक अनुरोधों को OTP के माध्यम से e-Auth (आधार ऑथेंटिकेशन) कर रिकवर की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकेगा ।

त्रुटिवश मृत घोषित समग्र आईडी को पुनः जीवित करने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत / वार्ड द्वारा भरा जाने वाला आवेदन पत्र

निकाय का नाम : जिला :
ई-मेल आईडी : दूरभाष नम्बर :

क्रं./एस.पी.आर./ दिनांक

प्रति,

प्रबंध संचालक
एम.पी.एस.ई.डी.सी.
47ए, अरेरा हिल्स, भोपाल म.प्र.
ई-मेल आईडी : md.samagra@mp.gov.in

विषय :- मृत रिपोर्ट की गई समग्र आईडी .... को रिकवर करने के संबंध में ।
संलग्न :- प्राप्त आवेदन/सी.एम. हेल्पलाईन नम्बर ....

ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय द्वारा .... को समग्र पोर्टल पर मृत रिपोर्ट कर दिया गया है, जिसकी जानकारी निम्नानुसार है :-

समग्र आईडी	
नाम	
पिता/पति का नाम	
जन्म दिनांक/आयु	
क्या वास्तव में मृत है	हॉ या नहीं
किस आधार पर मृत रिपोर्ट किया गया	मृत्यु प्रमाण पत्र/सूचना के आधार पर
किसके द्वारा मृत रिपोर्ट किया गया	
पुन: रिकवर क्यों कराना चाहते है	जीवित है/योजना का लाभ प्रदान करने हेतु
मृत्यु रिपोर्ट करने के उपरांत किसी भी प्रकार की सहायता योजना का लाभ दिया जा चुका है	
यदि हॉ तो योजना का नाम एवं राशि का उल्लेख करें	
यदि योजना का लाभ प्रदान करने हेतु रिकवर कराना चाहते है तो कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही का उल्लेख करें	
आवेदन किसके द्वारा दिया गया, आवेदन संलग्न है	

/अभिकथन/

मैं.................................... पदनाम........................ प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है, किसी भी प्रकार की अनियमित्ता होने पर पूर्णत: मैं जिम्मेदार रहूंगा । अत: उपरोक्तानुसार कृपया तालिका में प्रदर्शित सदस्य को रिकवर करने का कष्ट करें ।

संलग्न– पहचान पत्र, आवेदन पत्र

हस्ताक्षर एवं सील
नाम............................
पदनाम........................
मोबाइल नंबर................